(५१)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
07/2019/प्रा.पत्र/2019	08.03.2019	30.05.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–एफ.बी.ओ. श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री शम्भूलाल जैन जाति महाजन निवासी 103 शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक मैसर्स जवाहर लाल प्रभूदयाल मजिस्द के पास काफला बाजार टोंक जिला टोंक
2– मैसर्स जवाहर लाल प्रभूदयाल मजिस्द के पास काफला बाजार टोंक जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (iv)(v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 30.05.2019

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.01.2019 को समय 2.45 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जवाहर लाल प्रभूदयाल मजिस्द के पास काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से महेश कुमार जैन पुत्र श्री शम्भूलाल जैन जाति महाजन निवासी 103 शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक मैसर्स जवाहर लाल प्रभूदयाल मजिस्द के पास काफला बाजार टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे लकडी के बॉक्स मे लगभग 5–6 किलोग्राम **धनिया पावडर (खुला)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री महेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे लकडी के बॉक्स मे लगभग 5–6 किलोग्राम **धनिया पावडर (खुला)** मे से 2 किलोग्राम वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री महेश कुमार जैन को रू0 240/–अक्षरे दो सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आबेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **धनिया पावडर (खुला)** 2 किलोग्राम को बराबरा–बराबरा चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग (500–500 ग्राम भरकर) चार साफ व सूखे कागज के डिब्बो मे प्लास्टिक की थैली मे भरकर अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
812

Scanned by CamScanner

गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2062 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2062 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी ओ. महेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./19/304 दिनांक 05.02.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/76/एक्ट/2019/152 दिनांक 23.01.2019 अनुसार महेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **धनिया पावडर (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेध एंव निर्बधन) नं. 2.3.14 (15)के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **कॉन्ट्रावेन(Contravene)**स्तर का **धनिया पावडर (खुला)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (iv) व (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर (खुला)का विकय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)**स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर (खुला) का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) की उप धारा (iv) व (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी महेश कुमार जैन पुत्र श्री शम्भूलाल जैन जाति महाजन निवासी 103 शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक मैसर्स जवाहर लाल प्रभूदयाल मजिस्द के पास काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

Scanned by CamScanner